

सम्पादकीय

लड़कियों के लिए सही फैसला

हिंदुस्तान में अमूमन लड़कियों को पराए धन की तरह बताया जाता है और बहुत बार उन्हें बोझ माना जाता है। घर की बीटियों की जल्द से जल्द शादी करवाने की कोशिश रहती है, ताकि वो समुत्तर जाकर अपना धर संभाले। लेकिन जिस घर में जन्म लिया, वहाँ से जल्द से जल्द विदा करने की यह रस्म कई बार सामाजिक कुरीयों को जन्म देती है। इससे लड़कियों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कई बार प्रभावित होती है। अपने ही परिजनों के अनकहे शोषण का शिकार लड़कियां होती हैं। यह स्थिति बदल सकती है, अगर लड़कियों को पूरी तरह समर्पण और आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसलिए देश में कई बार लड़कियों की शादी को सही अवस्था को लेकर हुआ। कई कांशियों के बाद बाल विवाह पर काफी दह तक रोक लगाई गई है। लड़कियों की शादी की उम्र भी 12 की जगह 18 वर्ष की गई और अब इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए मोदी केबिनेट ने बुधवार को फैसला लिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों के बराबर यानी 21 वर्ष की जाए। केबिनेट की इस प्रस्ताव के बाद अब लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव के लिए सकारा भौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल 15 अगस्त के माझे पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था और उम्र को बढ़ावा देने की बात थी। इसके बाद जय जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ सूल्तु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। रिपोर्ट में जेटली ने कहा है कि हमारी सिफारिश के पीछे का तर्क कभी भी जेटली का उमर संबंधित कानून है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संवर्क्षण द्वारा जारी हालिया आकड़ों ने पहले ही संकेत दिये हैं कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियन्त्रण में है। या जेटली ने कहा कि हमारी सिफारिश विशेषज्ञों के साथ व्यापक प्रश्नों के बारे और अधिकतम तथ्यपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा मिलिटरी के साथ चर्चा के बाद हुआ। ऐसा इसलिए किया गया, व्यांकीक यह फैसला सीधे तौर पर उन्हें प्रभावित करता है। हमें 16 विश्वविद्यालयों से जबाब मिले और युवाओं तक पहुंचने के लिए 15 से अधिक गैरसरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। ग्रामीणों के साथ ही पिछड़े वर्ग और सभी धर्मों और शहीदी और ग्रामीण क्षेत्रों से फैलावैक लिया गया। इसमें समर्पित ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच की मी मांग की है। समर्पित ने योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। पॉलेटिकल संस्थानों में महिलाओं के प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण और आजीविक बहाने की भी सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह योग्य आयु में खुद को लागू किया जा सके। सिफारिश में कहा गया है कि अगर लड़कियों दिखा दें कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो माता-पिता उनकी जल्दी शादी करने से पहले दो बार सोचें। लड़कियों की सही उम्र और प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं पर सरकार की व्यापक प्रश्न हैं और समय के अनुसार लभी है। लड़कियों उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ-साथ अपनी योग्यताओं को विस्तार देने के लिए और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियों की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। समिति ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए एक व्यापक साथ दिया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई। योग्यता के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियों की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। समिति ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए एक व्यापक साथ दिया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई। योग्यता के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियों की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। समिति ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए एक व्यापक साथ दिया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई। योग्यता के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियों की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। समिति ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए एक व्यापक साथ दिया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई। योग्यता के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियों की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। समिति ने नियन्य की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही शोषणिक संस्थानों के मालिम से रक्षण सहित लड़कियों के लिए एक व्यापक साथ दिया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 18 साल कर दी गई। योग्यता के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अधिकार चलाया जाए। इसके साथ ही योग्य शिक्षा को औपचारिक रूप पहाने और अधिक वर्क मिलान चाहिए। जिस तरह लड़कों को आत्मनिर्भर होना जरूरी माना जाता है, उसी तरह अगर लड़कियों को भी अपने पैरे पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें इसके लिए सुविधाएं दी जाएं, तो अगे जाकर कई तरह की तकलीफों से उन्हें बचाया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज के लिए भी यह जरूरी है कि लड़के और लड़की में हर तरह से समानता रहे, इस पर केवल जुड़ानी जामा रखने न हो। आजादी के पहले से देश में लड़कियों के उत्तम कोशिश समाज सुधारकारों ने की है। राजा रामानन राय ने सीती प्रथा रुकवाई। व्यांकी पुले और सार्वानंद के लिए लड़कियो

